**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.02.2026**

**स्वाट टीम, अपराध शाखा कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना मुरादनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-642/2025 धारा 103(1)/190/191 (2)/191(3)/3(5) /351(3)/352 बी0एन0एस0 में वांछित अपराधी पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देशी पिस्टल 0.32 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर, 01 खोखा कारतूस 0.32 बोर, काले रंग की वर्ना कार नम्बर-UP14FQ0691 बरामद**

**पुलिस मुठभेड/गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांकः 04.02.2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुरादनगर के मु0अ0सं0 642/2025 में वांछित अपराधी काले रंग की वर्ना कार से थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में घूम रहा है। सूचना पर स्वाट टीम, अपराध शाखा तथा थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में जीडीए नवनर्मित कालोनी मधुबन बापूधाम दुहाई जाने वाले रास्ते पर हनुमान मन्दिर के पास चैकिंग करने लगे। दौराने चैकिंग 01 काले रंग की वर्ना कार नम्बर-UP14FQ0691 आती दिखाई दी, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो पुलिस चैकिंग व पुलिस टीम से घिरता देख कार सवार व्यक्ति कार को मोड़कर वापस भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर गाड़ी से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। जबाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में भाग रहा व्यक्ति दाहिने पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गया। जिसको तत्काल उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया।

**पूछताछ विवरण** – पूछताछ पर घायल व्यक्ति ने अपना नाम यासर पुत्र अलीम निवासी मौहल्ला कोट, मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष बताया तथा मृतक इमरान की हत्या में शामिल होना बताया।

उक्त अभियुक्त थाना मुरादनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-642/2025 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/3(5)/351(3)/352 बी0एन0एस0 में फरार चल रहा था। जिसकी विवेचना थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा की जा रही थी।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –**

1. यासर पुत्र अलीम निवासी मौहल्ला कोट, मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

**अभियुक्त यासर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0 851/2016 धारा 147,148,149,307 भादंवि थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2.मु0अ0सं0 568/2018 धारा 147,323,452,504,506 भादंवि थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3.मु0अ0सं0-642/2025 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/3(5)/351(3)/352 बी0एन0एस0 थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण-**

01 अवैध देशी पिस्टल 0.32 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर, 02 खोखा कारतूस 0.32 बोर एवं काले रंग की वर्ना कार नम्बर-UP14FQ0691 बरामद।

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

(1)-स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।
(2)-थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

## थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा हनीट्रैप कर धोखाधड़ी करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार ।

**कार्यवाही का विवरणः**-दिनांक 03.02.2026 को वादिया द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर लिखित तहरीर दी और बताया कि वादिया के पति जयसिंह निगम निवासी जटवार थाना इगलास जनपद अलीगढ के साथ रेखा त्यागी नामक महिला द्वारा अपने गिरोह के साथ जून 2024 में हनी ट्रैप में फंसाकर मेरे पति से 3 लाख रुपये नगद व 20 हजार रुपये ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर कराये है रेखा त्यागी द्वारा दिनांक 18.06.2024 को मेरी सगी जिठानी को कचहरी परिसर गाजियाबाद में बुलाकर अपनी मौजूदगी में अपने साथीगण आकाश त्यागी व प्रदीप त्यागी के साथ मिलकर 15 लाख रुपये की मांग की गयी परन्तु बाद में और पैसे न देने पर रेखा त्यागी द्वारा मेरे पति को फोन कर मुकदमा लिखवाने की धमकी देने व जाति सूचक शब्दो को प्रयोग कर गाली दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 389 भादवि व 3(2)(V) एस सी एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 04.02.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्ता रेखा त्यागी पुत्री कालीचरन निवासी शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को दयानन्द पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः**-गिरफ्तार अभियुक्ता उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे द्वारा जयसिंह निगम निवासी जटवार थाना इगलास जनपद अलीगढ शादी करने के लिये कहकर व झूठे बलात्कार के मुकदमे मे फंसाने की धमकी देकर कुल 3 लाख 20 हजार रूपये ले लिये थे तथा मेरे द्वारा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किया गया था मेरे पास कोई काम नही है मै ऐसे ही करके अपना खर्चा चलाती हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

अभियुक्ता रेखा त्यागी पुत्री कालीचरन निवासी शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

**गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को शादी का झांसा देकर कहीं ले जाना और उसके साथ गलत काम करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर अभियुक्त अली खान पुत्र नूर मौहम्मद निवासी इकराम नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, मूल पता ग्राम सनौता थाना मवाना जनपद मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष का नाम प्रकाश में आया जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 04.02.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अली खान पुत्र नूर मौहम्मद निवासी इकराम नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, मूल पता ग्राम सनौता थाना मवाना जनपद मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादिया की पुत्री से काफी समय से बातचीत थी। मैं वादिया की पुत्री को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था और मौका पाकर मैंने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

अली खान पुत्र नूर मौहम्मद निवासी इकराम नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, मूल पता ग्राम सनौता थाना मवाना जनपद मेरठ उम्र करीब 23 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम–**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

## ग्रामीण जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 281 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रुपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

CEIR (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्रामीण जोन साइबर टीम व थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 281 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रुपये) की

बरामदगी की गई है। सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

## थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. **थाना लोनी – 42**
2. **थाना ट्रोनिका सिटी – 37**
3. **थाना अंकुर विहार – 30**
4. **थाना लोनी बॉर्डर – 28**
5. **थाना मसूरी – 55**
6. **थाना मुरादनगर – 36**
7. **थाना मोदीनगर – 35**
8. **थाना निवाड़ी- 08**
9. **थाना भोजपुर- 10**

**कुल योग – 281**

## थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से दिल्ली से चोरी 01 आरआर यूनिट (मोबाईल टावर) बरामद।

**कार्यवाही का विवरणः-** दिनांक 04.02.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त विकास उर्फ वीरू पुत्र रमेश निवासी निवाडी रोड जगतपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को महाराजपुर तिराहे के पास लिंकरोड से 01 आरआर यूनिट मोबाईल टावर E UNIT के साथ (दिल्ली से चोरी) गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्त विकास उर्फ वीरू उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान यह तथ्य आये अभियुक्त गरीब परिवार से है तथा ज्यादा पढा लिखा नहीं है अपने व अपने परिवार के ख़र्चे चलाने के लिए छोटी मोटी चोरी कर लेता है। मेरे बैग में जो आरआर यूनिट आपको मिली है वो मैने अपने साथी आकाश उर्फ मच्छर व शाहीद के साथ दिल्ली शकरपुर से चुरायी थी आज मैं इस मोबाईल टावर को बेचने के लिए जा रहा था पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पकड लिया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- विकास उर्फ वीरू पुत्र रमेश निवासी निवाडी रोड जगतपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

### बरामदगी का विवरणः-

- 01 आरआर यूनिट (मोबाईल टावर) बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर व गाजियाबाद में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

## थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 04.02.2026 को थाना लोनी पर वादी की प्राप्त तहरीर कि 04 नामजद अभियुक्त 1. कैफ पुत्र जमशेद 2. अमन पुत्र जमशेद 3. जमशेद पुत्र नामालूम निवासीगण 24ए कल्लू अंसारी के पास अपरकोट थाना लोनी गाजियाबाद 4. रुचिर पुत्र ऋषिपाल निवासी कोयल एन्कलेव थाना टीलामोड़ गाजियाबाद द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के कार्य में पैसा लगाने के नाम पर मुनाफा कमाने के बहाने धोखाधड़ी करके रुपये अपने खाते में ट्रान्सफर करा लेना व वादी द्वारा अपने रुपये माँगने पर गालियाँ देना व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 318(4)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दौराने विवेचना में अभियुक्त अबू बकर पुत्र जमशेद निवासी अपर कोट थाना लोनी गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात् आज दिनांक 05.02.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.कैफ पुत्र जमशेद निवासी अपर कोट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष, 2.रुचिर पुत्र ऋषिपाल निवासी कोयल इन्क्लेव थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष, 3. अबू बकर पुत्र नवाब अली निवासी मेन बाजार नियर कल्लू पंसारी लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग USD (US डॉलर) के रूप में क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने का काम करते है, हमने वादी को मुनाफा का लालच देकर अपने खाते में पैसा ट्रान्सफर करा लिये थे तथा वादी द्वारा पैसे वापस माँगने पर हमने वादी को गाली गलौज व धमकी दी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

1. कैफ पुत्र जमशेद निवासी अपर कोट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
2. रुचिर पुत्र ऋषिपाल निवासी कोयल एन्कलेव थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष
3. अबू बकर पुत्र नवाब अली निवासी मेन बाजार नियर कल्लू पंसारी लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –**

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना लोनी पुलिस टीम।

## थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक 04.02.2026 को जीटीबी अस्पताल दिल्ली में नियुक्त चौकी से एएसआई जयवीर सिंह द्वारा थाना खोड़ा पर रिपोर्ट दी कि दिनांक 29.01.2026 को एक नाबालिग लड़की 05 माह से गर्भवती थी जिसका गर्भपात जीटीबी अस्पताल में कराया गया है तथा यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशान्त नाम के लड़के ने पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जिससे वह 05 माह की गर्भवती हो गयी थी। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर थाना खोड़ा पर धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजाकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 05.02.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त प्रशान्त राघव पुत्र प्रदीप राघव निवासी ग्राम जहानपुर थाना अरनिया जिला बुलंदशहर उम्र करीब 20 वर्ष को लेबर चौक टैम्पो स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः**-गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं व पीड़िता करीब 02 वर्षों से आपस में दोस्त थे एवं एक दूसरे को पसंद करते थे। उसी दरम्यान हमारे बीच सम्बन्ध स्थापित हो गये थे। वह करीब 05 माह की गर्भवती हो गयी थी। उसने जीटीबी अस्पताल दिल्ली में गर्भपात करा दिया था। हम दोनों शादी करना चाहते थे परन्तु वह नाबालिग होने के कारण शादी नहीं हो पायी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-**

- प्रशान्त राघव पुत्र प्रदीप राघव निवासी ग्राम जहानपुर थाना अरनिया जिला बुलंदशहर उम्र करीब 20 वर्ष

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्त प्रशान्त राघव के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में थाना खोड़ा में उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

थाना खोड़ा पुलिस टीम।